

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अजनावर
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद जिला बारा
प्रकरण संख्या :- 62/2017 दावा
दायरा दिनांक :- 27.04.2017
निर्णय दिनांक :- 27.06.2017

उनवान

कजोडीबाई पुत्री सरवन जाति भील निवासी अजनावर तहसील छीपाबडौद

बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :- 27.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री बृजमोहन मालव

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खनं0 970/2 रकवा 10 बीघा मौजा अजनावर में स्थित हैं जो वादनी के खातेदारी एवं कब्जे काशत में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजियात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काशतकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काशतकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 17.05.2012 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 17.05.2012 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काशतकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जयें सम्मन तलव किया गया। वादी अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम अजनावर संवत 2065-68 खाता संख्या 31, नकल नक्स टैस पेश किया गया। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अजनावर पर उपस्थित हुआ। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काशत की आराजी सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काशतकारों से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की अ का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।


उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा